



राजस्थान RAJASTHAN

AX 112131

:: शपथ-पत्र / बंध पत्र का (Affidavit/Bond) प्रारूप ::

मैं सुमन कंवर पत्नी श्री जुगतसिंह जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी- ग्राम राघवा तहसील व जिला- जैसलमेर का निवासी-हूँ। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

- मेरी संस्था का नाम श्री घटियालराय गौशाला, राघवा एवं संस्था का पंजीयन संख्या 1061/2010 दिनांक 04-05-2010 है।
- मेरे पशु शिविर के संचालन का स्थान जैसलमेर शहर में संचालन करना है।
- मेरे घोषित पशु शिविर में वर्तमान में अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमांत कृषकों के द्वारा छोड़े गये छोटे-बड़े पशु संधारित हैं जो निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	पशु शिविर का नाम (स्थान)	राजस्व गांव	पशुओं की संख्या		
			बड़े	छोटे	कुल पशु
1	दरियानाथ की बावडी, उत्तरी	जैसलमेर	195	5	200
2	दरियानाथ की बावडी, मंचिर के पास	जैसलमेर	195	5	200
3	संजोमडी के पास, जैसलमेर	जैसलमेर	195	5	200
	कुल पशुओं की संख्या				600

- मुझे ज्ञात है कि जिला कलक्टर/राज्य स्तर से पशु शिविर का आकस्मिक निरीक्षण/वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।
- मैं भलीभांति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण/विडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पाये जाती हैं तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- मैं पशु शिविर/गौशाला की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करूंगा।
- जिले द्वारा समय-समय पर की गई सभी शर्तों का मैं पूर्णतः पालन करूंगा।

SIGNATURE ATTESTED

 TEEKU RAM GARG
 NOTARY JAISALMER

सुमन ५९२
 शपथग्रहिता :-

तसदीक :- मैं सुमन कंवर पत्नी श्री जुगतसिंह जाति राजपूत उम्र 32 साल निवासी- ग्राम राघवा तहसील व जिला- जैसलमेर शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया गया विवरण सत्य है।

SIGNATURE ATTESTED

 TEEKU RAM GARG
 NOTARY JAISALMER

सुमन ५९२
 शपथग्रहिता :-

दिनांक :-

पंजीयन क्रमांक 1061/10

दिनांक 4-5-2010

डिस्पेच नं०

दिनांक 4/5/10

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7
राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (दिखिये नियम-6)
पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र



सत्यमेव जयते

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर

श्री दाँटीशाल राय गोशाला

राधवा तहसील जैसलमेर

जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में ।

चूंकि श्री सुमन केशव अध्यक्ष न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला

श्री दाँटीशाल राय गोशाला, राधवा ने राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 अन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् में सन्तुष्ट हो गया है कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है ।

आज दिनांक चार

माह मई

वर्ष द्वार



पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवम् उपनिदेशक
गोशाला राजस्थान जयपुर
4-5-10